14/1/26

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उप.। प्रा.पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल किया गया। नंबर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2023/382

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.14 17:42:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.

प्रकरण सं. : 83/2023 GCMS:- 2023/382 दायर दिनांक : 26.05.2023

1. जगदीश पुत्र टीकूराम जाति मेघवाल निवासी गोविन्दसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. लिखमाराम पुत्र जगदीश प्रसाद जाति मेघवाल साकिन चक 4 बी.के.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

—प्रार्थीगण

बनाम

1. रणजीतराम पुत्र जगदीश प्रसाद जाति मेघवाल साकिन चक 4 बी.के.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर
4. तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :
1. श्री राकेश कुमार मनचन्दा, अभिभाषक प्रार्थीगण
2. श्री भगवान दत्त शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1
3. पैरोकार राज तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़

निर्णय

दिनांक : 14.01.2026

पत्रावली निर्णय हेतु प्रस्तुत हुई। अभिभाषकगण प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 उपस्थित। बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थीगण सं. 2 से 4 के विरुद्ध दिनांक 16.10.2023 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जा चुके हैं। पत्रावली का अवलोकन किया। संक्षेप में, पत्रावली के विचारण तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी द्वारा वाद वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 व 209 आर.टी.ए., 1955 के साथ प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए., 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि चक 2 जी.बी.एस.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 74 के खाता नं. 54/15 के पत्थर नं. 79/57 (36) के किला नं. 1—2/0.506 है0, 9 से 12/1.012 है0, 13/1 में 0.126 है0, 18

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.14 17:42:12 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

से 22/1.265 है0, 23/1 में 0.222 है0 = 3.131 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी सं. 1 के नाम से व इसी चक 2 जी.डी.एस.एम. के खाता सं. 138/145 के पत्थर नं. 79/49 (35) के किला नं. 1 से 11/2.783 है0, 19 से 22/1.012 है0 = 3.795 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा प्रार्थी सं. 2 व 1/2 हिस्सा अप्रार्थी सं. 1 के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि के पत्थर नं. 79/57 के किला नं. 1–2 व पत्थर नं. 79/49 के किला नं. 1 से 5 के उत्तर दिशा में पत्थर नं. 78/56 (14) के किला नं. 21/1 में 0.051 है0, 22/2 में 0.051 है0, 23/1 में 0.051 है0, 24/2 में 0.051 है0, 25/2 में 0.051 है0 व पत्थर नं. 78/48 (15) के किला नं. 21/2 में 0.051 है0, 22/1 में 0.051 है0, 23/2 में 0.051 है0, 24/1 में 0.051 है0, 25/2 में 0.051 है0 भूमि गै.मु.रास्ता मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 के खाता सं. 1 में अंकित है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 के पत्थर नं. 79/57 के किला नं. 1–2 व पत्थर नं. 79/49 के किला नं. 1 से 5 में कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं होने के बावजूद अप्रार्थी सं. 2 के विभाग द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये व बिना भूमि अवाप्त किये, बिना कोई मुआवजा दिये, उक्त किलाजात के उत्तरी पासा में जबरन मनमर्जी से लगभग 8 वर्ष पूर्व 0.01½ बीघा पूर्व से पश्चिम लम्बाई में 12 फुट चौड़ी पक्की सड़क का निर्माण कर दिया गया है, जबकि मुताबिक रिकॉर्ड पटवारी हल्का द्वारा पत्थर नं. 78/32, 78/40, 78/48, 78/56 व 78/64, सभी के किला नं. 21 से 25 के दक्षिणी पासा में 0.04 बीघा यानि 0.051 है0 यानि 33 फुट चौड़ा स्वीकृतशुदा रास्ता अंकित किया हुआ है, जिसे उक्त वर्णित पत्थर नम्बर के काश्तकारान के द्वारा मौका पर रास्ता की भूमि पर सरकारी मशीनरी के साथ मिलीभगत कर उनके सहयोग से अतिक्रमण कर रास्ता बन्द किया हुआ है। दिनांक 15.05.2023 को अप्रार्थी सं. 2 के विभाग के कर्मचारी कुछ लोगों के साथ प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी भूमि में आये और कहा कि सड़क को चौड़ा किया जाना है व सड़क चौड़ी करने के पश्चात् इसके किनारे पर टाईल्स लगाई जानी है, इसलिए प्रार्थीगण की काश्त की हुई फसल को बचाने के लिए की हुई क[illegible] व खम्बे लगाकर लगाई हुई कंटीली तार को हटाने [illegible] तो हमारे द्वारा जबरन हटा दिया जायेगा। यदि [illegible] गया तो प्रार्थीगण की मौका पर काश्त की हुई फसल नष्ट हो [illegible]गी और प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कृषि भूमि के प्राप्त संवैधानिक अधिकारों से भी वंचित हो जायेंगे, इसलिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.14 17:42:12 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 3 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य करने से रोकने के लिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध चिरस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु वाद प्रस्तुत किया है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण का बनता है और सुविधा व सन्तुलन का पक्ष भी प्रार्थीगण के पक्ष में है, इसलिए प्रार्थीगण की चक 2 जी.डी.एस.एम. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 79/57 के किला नं. 1–2 = 0.506 है0 व पत्थर नं. 79/49 के किला नं. 1 से 5 = 1.265 है0 खातेदारी कृषि भूमि में उत्तर दिशा में गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृतशुदा नहीं होने के बावजूद इन किलाजात में मौका पर बनी 0.01½ बीघा पूर्व से पश्चिम लम्बाई में 12 फुट चौड़ी सड़क को दक्षिण दिशा में और चौड़ा करने का पक्का सड़क निर्माण कार्य व सड़क के किनारे इंटरलोकिंग टाईल्स लगाने का कार्य प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि में अप्रार्थीगण के द्वारा जबरन स्वयं और अपने कर्मचारियों व आदमियों के सहयोग से ना किये जाने और मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण सं. 2 से 4 को ताफैसला वाद पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभिभाषक प्रार्थीगण को इकतरफा सुना जाकर प्रार्थीगण के शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए अप्रार्थीगण सं. 2 से 4 के विरुद्ध दिनांक 26.05.2023 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ने जरिये अभिभाषक जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थीगण सं. 2 से 4 के विरुद्ध दिनांक 16.10.2023 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित कर पक्षकारान के तर्क सुने गये।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जमाबन्दी का अवलोकन करवाया व तर्क दिया कि चक 2 जी.डी.एस.एम. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 79/57 (36) के किला नं. 1–2 = 0.506 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, कुल खाता किला नं. 1–2, 9 से 12, [illegible] 8 से 22, 23/1 = 3.131 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि का है। इस[illegible] भी रास्ता नहीं है। इसी प्रकार प्रार्थी सं. 2 व अप्रार्थी सं. 1 के नाम पत्थर नं. 79/49 (35) के किला नं. 1 से 5 = 1.265 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.14 17:42:12 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

किलाजात में रास्ता अंकित नहीं है। कुल खाता इस पत्थर नम्बर में किला नं. 1 से 11, 19 से 22 = 3.795 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि का है। प्रत्येक किला में 0.253 है0 कमाण्ड भूमि दर्ज है। गै.मु.रास्ता की भूमि नहीं है। वर्णित भूमि में रास्ता स्वीकृत ना होने पर भी पत्थर नं. 79/57 (36) के किला नं. 1–2 व पत्थर नं. 79/49 (35) के किला नं. 1 से 5 में 0.051 है0 भूमि में पक्की टाईल्स लगाने का कहकर अप्रार्थीगण सं. 2 से 4 द्वारा अतिक्रमण किये जाने का प्रयास हो रहा है, जिसे रोकने की प्रार्थना अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा की गई है। अप्रार्थी सं. 1 नें इसकी पुष्टि की।

तर्क सुनने के पश्चात् तर्कों के परिपेक्ष्य में पूर्ण पत्रावली का अवलोकन व मनन करने पर पाया गया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 के कथनों की पुष्टि दस्तावेजी रिकॉर्ड जमाबन्दी वर्तमान से होती है। वर्णित भूमि चक 2 जी.डी.एस.एम. के पत्थर नं. 79/57 (36) के किला नं. 1–2 व पत्थर नं. 79/49 (35) के किला नं. 1 से 5 में रास्ता कहीं भी अंकित नहीं है। अंकित काश्तकार को पूर्ण भूमि काश्त करने का अधिकार है। अप्रार्थीगण सं. 2 से 4 ने अपने साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं व ना ही उपस्थित आये हैं। अतः दस्तावेजी रिकॉर्ड पर विश्वास किया जाना उचित है। इन परिस्थितियों में दिनांक 26.05.2023 को दिये गये स्थगन को ताफैसला वाद बढ़ाया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार कर पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 26.05.2023 की मियाद ताफैसला वाद बढ़ाते हुए अप्रार्थीगण सं. 2 से 4 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो चक 2 जी.डी.एस.एम. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 79/57 (36) के किला नं. 1–2 = 0.506 है0 व पत्थर नं. 79/49 (35) के किला नं. 1 से 5 = 1.265 है0 खातेदारी कृषि भूमि में उत्तर दिशा में इन किलाजात में मौका पर बनी 0.01½ बीघा पूर्व से पश्चिम लम्बाई में 12 फुट चौड़ी सड़क को दक्षिण दिशा में और चौड़ा करने का पक्का सड़क निर्माण कार्य व सड़क के किनारे इंटरलोकिंग टाईल्स लगाने का कार्य प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि में वाद निर्णय तक अप्रार्थीगण जबरन स्वयं और अपने कारिन्दों व आदमियों के सहयोग से नहीं करें और मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.14 17:42:12 IST
Reason: SelfAttested

आज दिनांक 14.01.2026 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)